दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 10 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 43

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : विवादित भूमि रामलला की, मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन

प्रतिक्रियाएं

न्याय के मंदिर ने दिया सौहार्दपूर्ण समाधान : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद देशवासियों से शांति, सद्भाव एवं एकता बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया है। मोदी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है।

यह ऐतिहासिक निर्णय देश की एकता, अखंडता, संस्कृति को और बल प्रदान करेगा : शाह

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और विश्वास जताया है कि यह ऐतिहासिक निर्णय देश की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा। शाह ने सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, श्री राम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है और अब देशवासियों को इसका सम्मान करते हुए परस्पर सौहार्द और सद्भाव बनाए रखकर अपनी समृद्ध परंपरा का निर्वहन करना है। अयोध्या मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के बाद श्री गांधी ने ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है।

फैसले को जय-पराजय की दृष्टि से मत देखें, सब मिलकर बनाएंगे राम मंदिर : मोहन भागवत

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश की जनभावना और आस्था को न्याय देने वाले फैसले का संघ स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि इस लंबी प्रक्रिया में राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पक्षों को धैर्य से सुना गया है, सभी पक्षों के वकीलों का हम अभिनंदन करते हैं और बलिदानियों को प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और आम लोगों की ओर से किए गए प्रयासों का अभिनंदन करते हैं और जय और पराजय की दृष्टि से इस फैसले को नहीं देखना चाहिए।

» 500 साल पुराने विवाद में 206 साल बाद आया फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह को रामलला का बताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए।

निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना। टॉप कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को तीन पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आगे कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व देने का आदेश हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास को विवादीत जमीन देते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने में सरकार योजना बनाए। अदालत ने

मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया है। संविधान पीठ ने मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जमीन देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले से राम चबूतरा और सीता रसोई की हिंदू पूजा करते थे। रिकार्ड के सबूत बताते हैं कि विवादित जमीन के बाहरी हिस्से में हिंदुओं का कब्जा था।

कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं के वहां पर अधिकार की ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी। 1877 में उनके लिए एक और रास्ता खोला गया। अंदरूनी हिस्से में मुस्लिमों की नमाज बंद हो जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। अंग्रेज़ों ने दोनों हिस्से अलग रखने के लिए रेलिंग बनाई। 1856 से पहले हिन्दू भी अंदरूनी हिस्से में पूजा करते थे। रोकने पर बाहर चबूतरे की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा है कि फिर भी मुख्य गुंबद के नीचे गर्भगृह मानते थे। इसलिए रेलिंग के पास आकर पूजा करते थे. साल 1934 के दंगों के बाद मुसलमानों का वहां कब्ज़ा नहीं रहा. वह जगह पर अपना दावा साबित नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवादित ढांचे के नीचे एक पुरानी रचना से हिंदू दावा माना नहीं जा सकता है। मुसलमान दावा करते हैं कि मस्ज़िद बनने से साल 1949 तक लगातार नमाज पढ़ते थे, लेकिन 1856-57 तक ऐसा होने का कोई सबूत नहीं है। हिंदुओं के वहां पर अधिकार की ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी। 1877 में उनके लिए एक और रास्ता खोला गया। अंदरूनी हिस्से में मुस्लिमों की नमाज बंद हो जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम की जन्म गुंबद के नीचे हुआ था। आस्था वैयक्तिक विश्वास का विषय है।

विवादित जगह पर हिंदू पूजा किया करते थे। गवाहों के क्रॉस एक्जामिनेशन से हिन्दू दावा झूठा साबित नहीं हुआ। चबूतरा,भंडार, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है. हिन्दू परिक्रमा भी किया करते थे। लेकिन टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होती है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की यह आस्था और उनका यह विश्वास की भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह निर्विवाद है। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई यह नहीं बता पाए कि मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा बना था या नहीं। 12वीं सदी से 16वीं सदी पर वहां क्या हो रहा था, साबित नहीं। केस का फैसला महज एएसआई के नतीजों के आधार पर नहीं हो सकता है। जमीन पर मालिकाना हक का फैसला कानून के हिसाब से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि कोर्ट को देखना है कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। मस्ज़िद साल 1528 की बनी बताई जाती है, लेकिन कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। दिसंबर को मूर्ति रखी गयी। जगह नजूल की ज़मीन है। लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट में कह चुकी है कि वह ज़मीन पर दावा नहीं करना चाहती।

फैसला पढ़ते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर तकी ने बनाया था। कोर्ट धर्मशास्त्र में पड़े, यह उचित नहीं है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट सभी धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बताता है।

फैसले से पहले सीजेआई को जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में उच्चतम न्यायालय के आने वाले फैसले से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा बंदोबस्त से जुड़े सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जबकि संविधान पीठ के अन्य न्यायाधीशों के लिए भी पहले से मौजूद सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किये गये हैं। इन न्यायाधीशों के आधिकारिक आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं, वहीं इसके आसपास के पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। शीर्ष अदालत की तरफ जाने वाली सभी सड़कों की निगरानी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत के प्रवेश द्वार से लेकर अदालत कक्षों एवं इनर मोस्ट जोन तक सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हवाले है। जेड प्लस सुरक्षा देश का सबसे सख्त सुरक्षा कवर माना जाता है, जिसके लिए 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 10 से अधिक नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडो शामिल होते हैं।

मंदिर के लिए 21 साल पत्थर तराशता रहा शख्स, आज फैसला आया तो जिंदा नहीं

21 साल तक, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आस में लाल पत्थरों पर नक्काशी की, लेकिन आज जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया तो वह इस दिन को देखने के लिए अब दुनिया में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाए जाने से चार महीने पहले वह इस दुनिया से रुखसत कर गए। 53 साल के रजनीकांत सोमपुरा अपने ससुर अन्नुभाई सोमपुरा संग काम करने के लिए अयोध्या आए थे और 21 साल तक कारसेवकपुरम में कार्यशाला में उन्होंने काम किया था। अन्नुभाई 1990 से कार्यशाला के पर्यवेक्षक थे, जब मंदिर का काम पहली बार शुरू हुआ था। जुलाई में रजनीकांत की मृत्यु हो गई और उनकी सहायता करने वाले मजदूर भी गुजरात वापस चले गए। कारसेवकपुरम में काम करने वाले एक स्थानीय निवासी महेश ने कहा, रजनीकांत एक कुशल कारीगर थे और वह शानदार नक्काशी करते थे। अब जब काम पूरी गति से शुरू होगा, तो हम सभी को सोमपुरा की याद आएगी। जो राम मंदिर बनाया जाएगा, उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है।

आपत्तिजनक पोस्ट डालने व पटाखे फोड़ने के आरोप में सात गिरफ्तार

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद कई जगहों पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक, मेरठ में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सिविल लाइन थाने की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं नौचंदी और ब्रह्मपुरी में पुलिस ने आतिशबाजी करने पर छह युवकों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने आपत्तिनजक पोस्ट डालने के आरोप में लक्ष्मण शर्मा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से मथुरा में थाना नौहझील के ग्राम भगवान गढ़ी का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ नौचंदी थाने की पुलिस ने अदालत का फैसला आने के बाद धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आतिशबाजी करने के आरोप में तीन युवकों अपूर्व, सुरेंद्र और प्रवीण को गिरफ्तार किया है। मेरठ में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय को सील करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा को नजरबंद कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बोर्ड इस फैसले को चुनौती देने के मूड में नहीं है। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि वह अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं और बोर्ड का इस फैसले को चुनौती देने का कोई विचार नहीं है। अगर कोई वकील या अन्य व्यक्ति बोर्ड की तरफ से अदालत के फैसले को चुनौती देने की बात कह रहा है तो उसे सही न माना जाए। गौरतलब है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने दिल्ली में हुई प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जाएगी।

अयोध्या का अधिकारियों ने किया हवाई निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालय से श्रीराम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद के विषय में निर्णय आने पर पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास एवं सौहार्द का वातावरण है। मंडलायुक्त मनोज मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक डा. संजीव गुप्ता, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी विगत दो दिनों से अयोध्या प्रकरण के निर्णय के संबंध में अपने अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे तथा इस क्रम में मीडिया कर्मियों से भी संवाद किया गया था। निर्णय आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र की जानकारी ली गई तथा विशिष्ट लोगों से संवाद भी किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से छावनी के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास, दिगंबर अखाड़े के सुरेश दास के अतिरिक्त इस प्रकरण के अन्य पक्षकार इकबाल अंसारी पुत्र हाशिम अंसारी से भी संवाद किया गया तथा उनके निवास पर जाकर मुलाकात भी की गई।

प्रतिक्रियाएं

फैसले पर सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ना चाहिए : मायावती

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि स्थल के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल बनायें रखने की अपील की है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, परमपूज्य बाबा साहेब डा भीम राव अम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत मा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के संबंध में आज आम सहमति से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का सभी को सम्मान करते हुए अब इस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आगे का काम होना चाहिए ऐसी अपील व सलाह।

अयोध्या पर फैसला संतुलित और ऐतिहासिक : प्रकाश जावड़ेकर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को संतुलित एवं ऐतिहासिक करार दिया है। जावड़ेकर ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, अयोध्या में मानवीय उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक, संतुलित और न्यायपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करेगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में जयश्रीराम हैशटेक लगाया है।

न्यायालय का फैसला देश हित में : आबेदीन

राजस्थान के अजमेर में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन ने अयोध्या विवाद पर आये उच्चतम न्यायालय के फैसले को देश हित में बताया है। आबेदीन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय देश के 130 करोड़ देशवासियों एवं देश हित में हैं। उन्होंने कहा कि यह हिन्दुस्तान के दुश्मनों पर तमाचा है जो लोग इस मुद्दे को बेवजह विवाद खड़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय का कर्तव्य बनता है कि न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए शांति एवं सद्भाव एवं भाईचारा बनाये रखना चाहिए। उन्होंने इस मामले में मुसलमान पक्षकारों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अच्छी पैरवी की।

अयोध्या फैसले को सुनकर भावुक हुईं साध्वी ऋतंभरा

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाए। सात दशक पुराने जमीन विवाद पर पांच जजों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसल में शीर्ष अदालत ने मामले में एक पक्षकार रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक तौर पर मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया है। अयोध्या फैसले का देशभर में स्वागत किया जा रहा है। फैसले के बाद जहां तमाम धर्मावलंबियों ने इसका स्वागत किया। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने वाली साध्वी ऋतंभरा भी फैसले के बाद खुशी से भावुक हो गईं। साध्वी ऋतंभरा के भावुक होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं।